रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 552] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1976/पौष 2, 1898
No. 552] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1976/PAUSA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd December 1976

S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 753 (E)/18AA/IDRA/76 dated 25th November, 1976, the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, had been taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years up to and inclusive of the 24th November, 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party, or which may be applicable to the industrial undertaking or the Company immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities (other than the liabilities to the State

Bank of India to the extent of the amount outstanding on the clean cash credit limits guaranteed by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets) accruing and arising thereunder before the said date shall remain suspended.

2. This order shall remain in force for a period of one year.

[No. F. 3/17/75-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1976

का० आ० 826 (अ) 18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/76.—यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 753(ई) 18 ए ए/आई डी आर ए/ 76 तारीख 25 नवम्बर, 1976 द्वारा मैसर्स पुलगांव काटन मिल्ज़ लिमिटेड, पुलगांव नामक समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन, 24 नवम्बर, 1981 तक थी (जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है), पांच वर्ष की अवधि के लिए ले लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में अनुसूचित उद्योग, अर्थात टेक्सटाइल उद्योग के उत्पादन की मात्रा को गिरने से रोकने की दृष्टि से लोक हित में वैसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उन सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरणों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जो प्रवृत्त हैं और जिनका एक पक्षकार उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी है, प्रवर्तन या जो राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व उस औद्योगिक उपक्रम पर कम्पनी को लागू हों, का प्रवर्तन और उस तारीख से पूर्व उनके अधीन उद्भूत एवं प्रोद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व (जो उन दायित्वों से, जो भारतीय स्टेट बैंक को उतनी रकम तक के दायित्वों से भिन्न हैं, जितनी रकम महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नगद-उधार सीमा (क्लीन कैश क्रेडिट लिमिटेड) पर बकाया है, और जो नगद-उधार खाते (साधारण) [कैश क्रेडिट एकाउन्ट (ऑर्डिनरी)] में से मिल द्वारा, उस सीमा तक जिस सीमा तक वे चालू आस्तियों के अन्तर्गत आती है, निकाली गई धनराशि से भिन्न हैं) निलम्बित रहेंगे।

2 यह आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।

[सं० फा० 3/17/75—सी यू एस]

अरुण कुमार घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976